इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 441] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर 2013—भाद्र 28, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2013

सूचना

क्र. एफ 11-25-2013-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश एग्रीकल्चर वेयर हाउस नियम, 1961 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश एग्रीकल्चर वेयर हाउस अधिनियम, 1947 (क्रमांक 1 सन् 1948) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 24 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि संशोधन के उक्त प्रारूप पर सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

(एक) नियम 4 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(4) अनुज्ञप्ति का नवीकरण 5 वर्ष की कालावधि के लिए होगा और इसकी विधिमान्यता की कालावधि 5वें वर्ष के 30 जून तक होगी, नवीकरण शुल्क रुपये एक, प्रति मीट्रिक टन 5 वर्ष के लिये होगा.''.

(दो) विद्यमान नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''5. **अनुज्ञप्ति का कालावधि और प्रारूप.**—अनुज्ञप्ति प्रारूप दो में होगी और इसकी विधिमान्यता आगामी 5 वर्षों की 30 जून तक होगी.''.

(तीन) विद्यमान नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''6. **अनुज्ञप्ति फीस.**—किसी वेयरहाउस मेन को पांच वर्षों के लिये अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये एक रुपया प्रति मीट्रिक टन प्रभार लिया जाएगा और अनुज्ञप्ति का नवीकरण रुपये एक प्रति मीट्रिक टन की नवीकरण फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा.''.

(चार) विद्यमान नियम 31 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"31. **बीमा.**—वेयरहाउस मेन वेयरहाउस को, अग्नि के विरुद्ध तथा ऐसे अन्य जोखिमों के विरुद्ध जो विहित प्राधिकारी द्वारा निदेशित किए जाएं बीमित करेगा वह अग्नि आदि के जोखिम से वेयर हाउस में जमा किए गए सामान को भी बीमित करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए निक्षेपकर्ता का एजेन्ट समझा जाएगा. वेयर हाउस मेन का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रत्येक वर्ष 30 जून तक, वेयर हाउस की बीमा पालिसी विहित प्राधिकारी को दिखाए और मूल अनुज्ञप्ति पर पालिसी क्रमांक और विधिमान्यता की कालावधि प्रविष्ट की जानी चाहिए. अनुज्ञप्ति बीमा अवधि के अवसान के पश्चात् स्वत: ही अविधिमान्य हो जाएगी.".

(पांच) नियम 34 में, शब्द "रुपये पचास" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष की कालावधि के लिए रुपये पांच सौ" स्थापित किये जाएं.

NOTICE

No.-F-11-25-2013-XXIX-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Rules, 1961. which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Act, 1947 (No. 1 of 1948) is hereby published as required by of Section 24 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the side draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the side draft of amendment before the expiry of period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT AMENDMENTS

In the said rules,—

(I) After sub-rule (3) of rule 4, the following sub-rule shall be Inserted, namely :—

"(4) The renewal of the license will be for the period of 5 years, and its validity period up to the 30th June of the 5th years, the renewal fees will be rupees one per metric ton for 5 years.".

(II) for the existing rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. **Period of licence and form.**—The licence shall be in form II and shall be valid up to 30th june next following of the 5th years.".

(III) for the existing rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. **Licence fee.**—There shall be charged rupees one per metric ton for issuing a license for five years to a Warehouseman and the licence may be renewed after receiving an application with renewal fee of rupees one per metric ton.".

(IV) for the existing rule 31, the following rule shall be substituted, namely :—

"31. **Insurance.**—The warehouseman shall fully insure the warehouse against fire and also against other risk when so directed by the prescribed authority. He shall also insure the goods deposited in the warehouse against risks of fire, etc and. shall be deemed to be an agent of the depositor for this purpose, It shall be the responsibility of the warehouseman to show insurance policy of the warehouse till date of 30th June of every year to the prescribed authority, and the policy number and validity period should be entered on the original licence. The licence will be suo-motto invalid after the expiry of Insurance period.".

(V) in rule 34, for the words "Rs. Fifty", the words "rupees five hundred for a period of live years" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चंदेल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.